



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 168-2021/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021 (ASVINA 22, 1943 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 14 अक्टूबर, 2021

संख्या 55/जीएसटी-2- हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- (1) ये नियम हरियाणा माल और सेवा कर (आठवां संशोधन) नियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
(2) अन्यथा उपबन्धित के सिवाए, ये नियम 24 सितम्बर, 2021 से लागू हुए समझे जाएंगे।
- हरियाणा माल और सेवा कर नियम, 2017 (जिन्हें, इसमें, इसके पश्चात्, उक्त नियम कहा गया है) में,—
 - उक्त नियमों में, नियम 10क में, —
 - “बैंक खाते के ब्यौरे” शब्दों के पश्चात्, “जो रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के नाम से हो और रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति की स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया हो” शब्द रखे जाएंगे, तथा ऐसी तिथि से रखे गए समझे जाएंगे, जो अधिसूचित की जाए;
 - निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा तथा ऐसी तिथि से ये रखा गया समझा जाएगा, जो अधिसूचित की जाए, अर्थात्:-

“परंतु सम्बद्ध स्वत्वधारी की दशा में, स्वत्वधारी की स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।”;

- उक्त नियमों में, नियम 10क के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा तथा ऐसी तिथि से रखा गया समझा जाएगा जो अधिसूचित की जाए, अर्थात्:-

“10ख. रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति के लिए आधार अधिप्रमाणन.— धारा 25 की उपधारा (6घ) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति से भिन्न रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जिसे नियम 10 के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण पत्र जारी किया गया है, स्वत्वधारी फर्म की दशा में स्वत्वधारी, या भागीदारी फर्म की दशा में भागीदार, या हिंदू अविभक्त कुटुंब की दशा में कर्ता, या कंपनी की दशा में उसका प्रबंधनिदेशक अथवा पूर्ण कालिक निदेशक या व्यक्तियों के संघ या व्यक्तियों के निकाय या किसी सोसाइटी की प्रबंध समिति के सदस्यों में से कोई भी सदस्य या न्यास की दशा में न्यासी बोर्ड का कोई न्यासी, और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, नीचे दी गई सारणी के खाना (2) में यथा विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए पात्र होने के क्रम में, आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएंगे:

सारणी

क्रम संख्या	उद्देश्य
(1)	(2)
1.	नियम 23 के अधीन, रजिस्ट्रीकरण के रद्दकरण के प्रतिसंहरण के लिए प्ररूप जीएसटी आरईजी-21 में आवेदन फाइल करने के लिए
2.	नियम 89 के अधीन प्ररूप आरएफडी-01 में प्रतिदाय आवेदन फाइल करने के लिए
3.	नियम 96 के अधीन भारत के बाहर निर्यात किए गए माल पर भुगतान किए गए एकीकृत कर के प्रतिदाय के लिए:

परंतु यदि उस व्यक्ति को, जिससे आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराना अपेक्षित है, आधार संख्या समनुदेशित नहीं की गई है, तो ऐसा व्यक्ति निम्नलिखित पहचान के दस्तावेज प्रस्तुत करेगा, अर्थात्:-

(क) अपनी आधार नामांकन आईडी पर्ची; और

(ख) (i) फोटोग्राफ के साथ बैंक पास बुक; या

(ii) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किया गया मतदाता पहचान कार्ड; या

(iii) पासपोर्ट; या

(iv) मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई चालन अनुज्ञप्ति:

परंतु यह और कि ऐसा व्यक्ति आधार संख्या के आवंटन से तीस दिन के भीतर आधार संख्या का अधिप्रमाणन कराएगा।”;

3. उक्त नियमों में, नियम 23 में, उपनियम (1) में, “स्वप्रेरणा से प्रस्ताव पर” शब्दों के स्थान पर, “नियम 10ख के उपबन्धों के अध्यधीन स्वप्रेरणा से” शब्द, अंक और अक्षर प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा ऐसी तिथि से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे, जो अधिसूचित की जाए।

4. उक्त नियमों में, नियम 45 में, उपनियम (3) में,—

(i) “तिमाही के दौरान”, शब्दों के स्थान पर, “विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान”, शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे तथा प्रथम अक्टूबर, 2021 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे;

(ii) “तिमाही से”, शब्दों के स्थान पर, “उक्त अवधि से”, शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे तथा प्रथम अक्टूबर, 2021 से प्रतिस्थापित किए गए समझे जाएंगे; तथा

(iii) परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित व्याख्या रखी जाएगी तथा प्रथम अक्टूबर, 2021 से रखी गई समझी जाएगी, अर्थात्:

“व्याख्या — इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए, “विनिर्दिष्ट अवधि” की अभिव्यक्ति से अभिप्राय है:—

(क) किसी मालिक के संबंध में, जिसका ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान कुल आवर्त पांच करोड़ रुपये से अधिक है, प्रथम अप्रैल और प्रथम अक्टूबर को प्रारम्भ होने वाले छह क्रम-वर्ती मासों की अवधि होगी ; और

(ख) किसी अन्य मामले में वित्तीय वर्ष होगा।”।

5. उक्त नियमों में, नियम 59 में, उपनियम (6) में,

(i) खंड (क) में, “पूर्ववर्ती दो मासों के लिए”, शब्दों के स्थान पर, “पूर्ववर्ती मास के लिए”, शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे; तथा प्रथम जनवरी, 2022 से प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) खंड (ग) का लोप किया जाएगा तथा जनवरी 2022 के प्रथम दिन से लोपित किया जाएगा।

6. उक्त नियमों में, नियम 89 में,—

(i) उपनियम (1) में, इलेक्ट्रॉनिक रूप से “शब्दों के पश्चात्, नियम 10ख के अध्यधीन” शब्द रखे जाएंगे तथा ऐसी तिथि से रखे गए समझे जाएंगे, जो अधिसूचित की जाए;

(ii) उपनियम (1) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

“(1क) किसी व्यक्ति द्वारा राज्य प्रतिदाय समझे गए संव्यवहार जो पश्चात्पूर्व अन्तर-राज्य प्रदाय माना गया है, के संबंध में उसके द्वारा भुगतान किये गए किसी कर के प्रतिदाय करने वाला वह व्यक्ति, अन्तर-राज्य प्रदाय पर कर के भुगतान की तिथि से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व, या तो प्रत्यक्ष रूप से या आयुक्त द्वारा

अधिसूचित सुविधा केन्द्र के माध्यम से, सामान्य पोर्टल के माध्यम से प्ररूप जी.एस.टी. आर.एफ.डी.-01 में इलेक्ट्रॉनिक ढंग से आवेदन कर सकेगा:

परन्तु उक्त आवेदन इस उपनियम के प्रभावी होने के पूर्व अन्तरराज्य प्रदाय पर कर के किसी भुगतान के संबंध में, उस तिथि, जिस से यह उपनियम प्रभावी होता है, से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति से पूर्व फाइल किया जाएगा।”।

7. उक्त नियमों में, नियम 96 में, उपनियम (1) में, खंड (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, तथा ऐसी तिथि से रखा गया समझा जाएगा, जो अधिसूचित की जाए, अर्थात्:-

“(ग) आवेदक ने नियम 10ख में उपबंधित रीति में आधार अधिप्रमाणन करवाया है।”;

8. उक्त नियमों में, नियम 96ख के पश्चात्, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, तथा ऐसी तिथि से रखा गया समझा जाएगा, जो अधिसूचित की जाए, अर्थात् :-

“(96ग) प्रतिदाय जमा हेतु बैंक खाता,— नियम 91 के उपनियम (3), नियम 92 के उपनियम (4) और नियम 94 के प्रयोजनों के लिए, “बैंक खाते” का अभिप्राय होगा कि आवेदक का ऐसा बैंक खाता, जो आवेदक के नाम पर है तथा उसकी स्थायी खाता संख्या पर प्राप्त किया गया है :

परन्तु सम्बद्ध स्वत्वधारी की दशा में, स्वत्वधारी का स्थायी खाता संख्या स्वत्वधारी की आधार संख्या से भी जुड़ी हुई हो।”।

अनुराग रस्तोगी,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT
EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT
Notification

The 14th October, 2021

No. 55 /GST-2.— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Goods and Services Tax (Eight Amendment) Rules, 2021.
(2) Save as otherwise provided, they shall be deemed to have come into force with effect from the 24th September, 2021.

2. In the Haryana Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), —

- (i) in rule 10A of the said rules, with effect from the date as may be notified, -
 - (a) after the words “details of bank account”, the words “which is in name of the registered person and obtained on Permanent Account Number of the registered person” shall be inserted;
 - (b) the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.”;

- (ii) after rule 10A of the said rules, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:-

“10B. Aadhaar authentication for registered person .— The registered person, other than a person notified under sub-section (6D) of section 25, who has been issued a certificate of registration under rule 10 shall, undergo authentication of the Aadhaar number of the proprietor, in the case of proprietorship firm, or of any partner, in the case of a partnership firm, or of the karta, in the case of a Hindu undivided family, or of the Managing Director or any whole time Director, in the case of a company, or of any of the Members of the Managing Committee of an Association of persons or body of individuals or a Society, or of the Trustee in the Board of Trustees, in the case of a Trust and of the authorized signatory, in order to be eligible for the purposes as specified in column (2) of the Table below:

Table

Serial Number	Purpose
(1)	(2)
1.	For filing of application for revocation of cancellation of registration in FORM GST REG-21 under Rule 23
2.	For filing of refund application in FORM RFD-01 under rule 89
3.	For refund under rule 96 of the integrated tax paid on goods exported out of India

Provided that if Aadhaar number has not been assigned to the person required to undergo authentication of the Aadhaar number, such person shall furnish the following identification documents, namely: –

- (a) her/his Aadhaar Enrolment ID slip; and
- (b) (i) Bank passbook with photograph; or
- (ii) Voter identity card issued by the Election Commission of India; or
- (iii) Passport; or
- (iv) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988):

Provided further that such person shall undergo the authentication of Aadhaar number within a period of thirty days of the allotment of the Aadhaar number.”;

3. In the said rules, in rule 23, in sub-rule (1), with effect from the date as may be notified, after the words “on his own motion, may”, the words, figures and letter “, subject to the provisions of rule 10B,” shall be inserted;

4. In the said rules, in rule 45, in sub-rule (3), -

- (i) for the words “during a quarter”, the words “during a specified period” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st October, 2021;
- (ii) for the words “the said quarter”, the words “the said period” shall be substituted and shall be deemed to have been substituted with effect from the 1st October, 2021;
- (iii) after the proviso, the following explanation shall be inserted and shall be deemed to have been inserted with effect from the 1st October, 2021, namely: -

“Explanation. - For the purposes of this sub-rule, the expression “specified period” shall mean.-

- (a) the period of six consecutive months commencing on the 1st day of April and the 1st day of October in respect of a principal whose aggregate turnover during the immediately preceding financial year exceeds five crore rupees; and
- (b) a financial year in any other case.”;

5. In the said rules, in rule 59, in sub-rule (6), -

- (i) in clause (a), for the words “for preceding two months”, the words “for the preceding month” shall be substituted with effect from the 1st January, 2022;
- (ii) clause (c) shall be omitted with effect from the 1st January, 2022;

6. In the said rules, in rule 89, -

- (i) in sub-rule (1), with effect from the date as may be notified, after the words “may file”, the words “, subject to the provisions of rule 10B,” shall be inserted;
- (ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

“(1A) Any person, claiming refund under section 77 of the Act of any tax paid by him, in respect of a transaction considered by him to be an intra-State supply, which is subsequently held to be an inter-State supply, may, before the expiry of a period of two years from the date of payment of the tax on the inter-State supply, file an application electronically in **FORM GST RFD-01** through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner:

Provided that the said application may, as regard to any payment of tax on inter-State supply before coming into force of this sub-rule, be filed before the expiry of a period of two years from the date on which this sub-rule comes into force.”;

7. In the said rules, in rule 96, in sub-rule (1), after clause (b), with effect from the date as may be notified, the following clause shall be inserted, namely:-

“(c) the applicant has undergone Aadhaar authentication in the manner provided in rule 10B;”;

8. In the said rules, after rule 96B, with effect from the date as may be notified, the following rule shall be inserted, namely:-

“96C. Bank Account for credit of refund.- For the purposes of sub-rule (3) of rule 91, sub-rule (4) of rule 92 and rule 94, “bank account” shall mean such bank account of the applicant which is in the name of applicant and obtained on his Permanent Account Number:

Provided that in case of a proprietorship concern, the Permanent Account Number of the proprietor shall also be linked with the Aadhaar number of the proprietor.”;

ANURAG RASTOGI,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.